छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक5 दिसंबर 2019

क्रमांक एफ 20–67/2019/11/6 : राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका–15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक–17 तथा परिशिष्ट–6.17 के प्रावधानों के अनुरूप में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु "इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)" योजना को क्रियान्वित एवं अधिसूचित करने हेतु दिनांक 01 नवंबर, 2019 से प्रभावी **"छत्तीसगढ राज्य इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान) नियम 2019"** निम्नानुसार लागू करता है :–

1 परिचय :–

राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है कार्बन फुटप्रिंट कम होता है तो ऐसे प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा ।

इनमें औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन Reused of Recycle water, for Industrial or Domestic Purpose, Effluent treatment Plant, Zero liquid discharge and Zero gas discharge तथा Heat recovery हेतु किया गया निवेश भी शामिल होगा ।

2 परिभाषाएं :–

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएं, वहीं होगी जो औद्योगिक नीति 2019–24 के "परिशिष्ट–1" पर दी गयी हैं।

3– नियम –

यह नियम "**छत्तीसगढ़ राज्य इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान) नियम 2019**" कहे जावेगें।

4– पात्रता –

(1) राज्य में स्थापित सभी विद्यमान औद्योगिक इकाईयां जो इस नीति 2019–24 के नियत दिनांक अर्थात 01 नवम्बर, 2019 के पश्चात् एवं 31 अक्टूबर, 2024 के पूर्व इन यंत्रों की स्थापना करती है, इन नियमों के अंतर्गत पात्र होंगी।

(2) राज्य में स्थापित विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों के विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण/शवलीकरण एवं प्रतिस्थापन योजना के साथ यदि इनवायरमेंट मैनेजमेंट हेतु यंत्र स्थापित किए जाते है तो उन्हें भी अनुदान की पात्रता होगी।

(3) विश्व स्तरीय संस्थानो द्वारा कार्बन क्रेडिट के संबंध में दिये जाने वाले अनुदानो की प्राप्ति हेतु सलाहकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इन सलाहकारों के द्वारा दिये जाने वाली सलाह के आधार पर किये जाने वाले निवेश पर उपरोक्त अनुदान की पात्रता होगी।

(4) अनुदान प्रकरण के साथ इनवायरमेंट मैनेजमेंट हेतु सूचीबद्ध सलाहकार संस्थानों द्वारा परीक्षण उपरांत कार्बन क्रेडिट हेतु पात्र संबंधी प्रमाण–पत्र जारी किये जायेगें एवं तद्नुसार ही अनुदान प्रदान किया जायेगा ।

5– प्रक्रिया व अधिकार –

5.1– पात्र औद्योगिक इकाईयों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के प्रकरण में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं शेष सभी श्रेणी के उद्योगों के प्रकरण में उद्योग संचालनालय में समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित तीन प्रतियों में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ में आवेदन करना होगा। इकाई द्वारा निवेश/यंत्र स्थापना की पूर्व सूचना नियमानुसार संबंधित कार्यालय को दी जायेगी ।

पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा निर्धारित प्रपत्र में यंत्र के कार्यशील होने की तिथि से एक वर्ष के समय–सीमा में संबंधित कार्यालय में अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अपूर्ण आवेदन/अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदनों को निरस्त किया जावेगा ।

(1) उद्योग आधार/ई.एम. पार्ट–2/स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र/आई.ई.एम. /आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस (जो लागू हो)/उत्पादन प्रमाण पत्र।

(2) औद्योगिक इकाई के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन से संबंधित प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया वैध अभिस्वीकृति पत्र।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

(4) निःशक्त/दिव्यांग से संबंधित प्रकरणों में निःशक्तता से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(5) सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित प्रशासकीय विभागीय/ कार्यालय से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(6) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(7) तृतीय लिंग से संबंधित प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया वैध प्रमाण पत्र।

(8) प्राथमिकता/उच्च प्राथमिकता श्रेणी से संबंधित मान्यता पत्र ।

(9) इनवायरन्मेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हेतु बनाई गई परियोजना प्रतिवेदन की प्रति।

5.2– अनुदान की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति प्राधिकृत होगी :–

क्र	अधिकारी का पदनाम	पद
1	आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
2	अपर सचांलक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव
3	क्षेत्रीय अभियंता, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
4	संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक	सदस्य

अनुदान की स्वीकृति पश्चात् अदायगी दो समान किस्तों में निम्न प्रकार से किया जायेगा –

प्रथम किश्त– अनुदान राशि की स्वीकृति के समय ।

द्वितीय किश्त– औद्योगिक इकाईयों द्वारा सफलता पूर्वक अपने उद्योगों को एक वर्ष तक कार्यशील रखने के पश्चात् ।

5.3– इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान से संबंधित अनुदान स्वीकृति के पश्चात् उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान के बजट का आवंटन आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

5.4– आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

5.5– बजट आबंटन उपलब्ध होने पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेलटमेंट) प्रणाली अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की प्रणाली अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करना होगा । अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी।

5.6– बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।

6– अनुदान की मात्रा –

आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में राज्य स्तर समिति द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है कार्बन फुटप्रिंट कम होता है तो ऐसे प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा।

7– अनुदान की वसुली –

7.1– इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान के तहत प्राप्त अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को स्वीकृत/वितरण के पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है या स्थापित यंत्र के स्थानांतरण किये जाने पर व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वसूल की जा सकेगी।

7.2– उपरोक्तानुसार राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी ।

7.3– स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि अनुदान की राशि वित्तीय संस्था/बैंक/इकाई को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें ।

7.4– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है एवं इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत इकाई के उत्पादन प्रारंभ करने के समय लागू करने की नीति के अनुसार उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि से संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी।

7.5– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक के वर्ग से संबंधित प्रमाण–पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई आधिक्य अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

7.6– उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

7.7– यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो।

7.8– उपर्युक्त बिन्दु 7.1 से 7.7 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाऐंगे ।

8– अपील / वाद –

8.1– राज्य स्तरीय समिति द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपील 45 दिवस के भीतर राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

8.2– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रू. 2000 एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 5000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अपील शुल्क का भुगतान प्रत्येक स्तर हेतु पर करना होगा। अनुसूचित जाति/ जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग/निःशक्तजन, महिला स्वसहायता समूह तथा तृतीय लिंग के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा।

8.3– अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा।

8.4– अपीलीय अधिकारी को यह अधिकारी होगा कि वह प्रकरण में अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

9 अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–

(1) औद्योगिक इकाई को अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।

(2) उपरोक्त (1) की अवधि में राज्य के मूल निवासियों को अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का इकाई के उत्पादन प्रारंभ करने के समय लागू नीति में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा।

10— कार्यकारी निर्देश —

अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु आयुक्त /संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ सक्षम होंगें । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

11— स्वप्रेरणा से निर्णय —

भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें/ निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

12— योजना का क्रियान्वयन —

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

13— इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

14— नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग